

FORM NO.III
 फर्द अहकाम
 (नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:- श्रीमती श्रद्धा व्यास पत्नी नरेश व्यास, जाति ब्राह्मण, व्यास कृषि फॉर्म, कोलीवाड़ा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
 बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सुमेरपुर
 रेसपोडेन्ट :-

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 30 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/5/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सुमेरपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेसपोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं जिसकी सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29 ⁵/₁₉ को पेश हो।</p>	<p>582-83 6/5/19</p>
29/5/19	<p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपील द्वारा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सुमेरपुर को उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेसपोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं जिसकी सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29 ⁵/₁₉ को पेश हो।</p> <p>जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपील द्वारा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सुमेरपुर को उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेसपोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं जिसकी सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29 ⁵/₁₉ को पेश हो।</p> <p>इस न्यायालय के पत्रांक 582-83 दिनांक 6/5/19 के द्वारा निरवाजोत पर प्रत्युत (अपिल पत्रांक की प्रति सम्बन्धित विभाग को भेजित कर जबाब्य भेजित करे हेतु निरवाजोत सम्बन्धित विभाग के प्रत्युत (अपिल पत्रांक की प्रति सम्बन्धित सूचना सहायक निदेशक, उपाधी पाली से सम्बन्धित करने से अपील का प्रकीर्ण पत्र वांछित सूचना उपलब्ध करवाए हेतु उनके भेजित किया गया था। उनके वांछित सूचना जरिए पत्रांक संख्या 12018-19/300-01 दिनांक 21-5-19 के द्वारा इस न्यायालय को भेजित की है। सूचना की प्रमाण प्रति अपीलांत को पत्र के साथ भेजित की जावे।</p> <p>प्रत्युत अपील में इस न्यायालय पर यह किसी प्रकार की कार्यवाही भेजित नहीं होने से अपील अपीलांत दर्ज की जाती है।</p> <p>पत्रावली इस न्यायालय से शुभार फॉर्म की जाकर नम्बर से कर है।</p>	<p>767 4/6/19</p>

जिला कलेक्टर, पाली